न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 03/2013

दर्ज दिनांकः 20/03/2013

निर्णय दिनांकः 17/11 /2017

सुरेश पुत्र प्रभुदयाल जाति बैरवा निवासीः बीडरामचन्द्रपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्रवण पुत्र सोहनलाल
2. श्योप्रसाद पुत्र सोहनलाल
3. राजू पुत्र सोहनलाल
4. प्रभुदयाल पुत्र गोपी
5. बाबूलाल पुत्र गोपी
6. चिरंजीलाल पुत्र गोपी
7. सुमन पुत्री बाबूलाल
8. कमलेश पुत्र बाबूलाल

   समस्त जाति बैरवा निवासीः ग्राम बीडरामचन्द्रपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक फागी, जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी अपील में प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त उनवान से एक अपील प्रस्तुत की है जिसके आदेश की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 28.02.2013 से पूर्व नहीं रही है। प्रार्थी दिनांक 28.02.2013 से अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी नहीं थी चूंकि अपीलान्ट अपनी शिक्षा अध्ययन में रहता था अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28.02.2013 को पटवार हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले लेने पर जानकारी प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत है। जानकारी प्राप्त होते ही बगैर किसी विलम्ब के अपील प्रस्तुत की जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारम्भतः शून्य व अवैध निर्णयो पर मियाद अधिनियम का प्रावधान लागू नहीं होता है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी काबिले माफी है इसलिये दिनांक से आज अपील प्रस्तुत करने तक हुई देरी को माफ किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी के समय को न्यायहित में डिलेकन्डोन किया जावे।

वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, अपील इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत रेनवाल के नामान्तकरण संख्या 620 दिनांक 17.06.1984 को अपास्त करने के लिये लगभग 29 वर्ष पश्चात् अपील अंतर्गत धारा 75 प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी, फागी (जयपुर)

पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर उक्त अपील प्रस्तुति की देरी को डिलेकण्डोन करवाना चाहा है किन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया कि जिससे यह साबित हो कि अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा किया जा सके। प्रार्थी अपील प्रस्तुति में हुई देरी को क्षमा करने के लिये पर्याप्त सबूत पेश करने में असफल रहा है इस कारण मेरे द्वारा न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के खारिज होने के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वतः खारिज है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)